

संक्षिप्त विवरण

परिचय :-

वीसा पॉवर लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के दो ग्रामों – डूमरपाली एवं देवरी में 1200 मेगावाट क्षमता की “ताप विद्युत परियोजना” की स्थापना की जा रही है। उक्त “ताप विद्युत परियोजना” दो चरणों में (2x600 मेगावाट) स्थापित की जायेगी। प्रथम चरण में 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की स्वीकृति से 36 माह की अवधि में और द्वितीय चरण में पुनः 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 42 माह में प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

वीसा पॉवर लिमिटेड को दक्षिण-पूर्व कोयला प्रक्षेत्र मर्यादित (साऊथ ईस्टर्न कोल-फील्डस् लिमिटेड – SECL) द्वारा ग्राम: फतेहपुर में कोयला उत्खनन हेतु “कोल ब्लॉक” का आबंटन किया गया है। उक्त “कोल-ब्लॉक” का उपयोग स्वउपयोग हेतु कोयला खदान के रूप में किया जायेगा। इस कोयला खदान का विकास वीसा पॉवर लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। उक्त “खदान” के अतिरिक्त कम्पनी द्वारा SECL तथा कोल इण्डिया लिमिटेड – CIL के साथ कोयला पूर्ति हेतु “कोल लिंकेज” की व्यवस्था भी की जायेगी। कोयले की परियोजना स्थल तक आपूर्ति रेल और सड़क परिवहन द्वारा प्रस्तावित है।

वीसा पॉवर लिमिटेड द्वारा जीआईएस इनाबलड इन्वार्नमेन्ट एण्ड नियो-ग्राफिक सेन्टर (ग्रीन सी) को परियोजना स्थल का पर्यावरण प्रभाव आंकलन (इन्वार्नमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट – EIA) का अध्ययन किये जाने का कार्य सौंपा गया है। इस EIA अध्ययन के उपरान्त प्रस्तावित “ताप विद्युत परियोजना” हेतु “पर्यावरण प्रबंधन योजना” (इन्वार्नमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान – EMP) तैयार किये जाने हेतु भी “ग्रीन सी” को अधिकृत किया गया है।

परियोजना का विवरण :

परियोजना स्थल ग्राम : डूमरपाली व देवरी तहसील एवं जिला : रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित है। स्थल के समीपस्थ रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर में स्थित है जो कि मुम्बई-हावड़ा मुख्य मार्ग पर रायगढ़ के समीप है। परियोजना स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थल से समीपस्थ हवाई अड्डा – माना, रायपुर (छ.ग.) की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी “महानदी” परियोजना स्थल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है।

वीसा पॉवर लिमिटेड द्वारा डूमरताली व देवरी ग्राम में 780 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु चिन्हित की गई है। परियोजना क्षेत्र की समुद्रतल से ऊँचाई 220 से 240 मीटर है। परियोजना स्थल की अक्षीय रेखाएँ (Coordinates) निम्नवर्णित है :-

- (अ) 21° 55' 45" उत्तर से 21° 55' 41.4" उत्तर : देशान्तर
(ब) 83° 16' 31.2" पूर्व से 83° 16' 28" पूर्व : अक्षांश

परियोजना हेतु प्रस्तावित कुल क्षमता (1200 मेगावाट) के उत्पादन हेतु लगभग 4600 घनमीटर प्रति घंटा (4600m³/Hr) की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति महानदी से प्रस्तावित है। महानदी पर जल आपूर्ति हेतु एनीकट का निर्माण किया जाएगा। जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु महानदी से परियोजना स्थल तक एक भूमिगत "जल-वाहिनी" बिछाई जायेगी।

परियोजना हेतु कोयला संपूर्णतः स्वदेशी खदानों से प्राप्त किया जाएगा। एसईसीएल/सीआईएल की खदानों से कोयला रेलमार्ग से परियोजना स्थल तक लाया जायेगा। स्व उपयोग हेतु प्रस्तावित कोयला खदान से स्थल तक रेलमार्ग बिछाया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित " ताप विद्युत परियोजना" हेतु कुल 7.6 मिलियन टन कोयले की वार्षिक आवश्यकता होगी। यह अनुमान कोयले के ग्रांस कॅलोरिफिक वेल्यू 3600 किलो कॅलोरी प्रति किलो और संयंत्र का औसत प्लांट लोड फैक्टर 100% के आधार पर किये गये आंकलन के अनुसार है। कोयले में ऐश की मात्रा 40% मानी गई है।

संयंत्र में प्रस्तावित स्टीम जनरेटर के लिये लिक्विड डीजल आईल (LDO) की आवश्यकता 9700 किलोमीटर प्रति वर्ष कुल 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिये आंकी गई है। प्रारंभिक ईंधन के रूप में LDO का उपयोग किया जायेगा। स्टीम जनरेटर शत-प्रतिशत स्वदेशी कोयले के उपयोग के आधार पर डिजाईन किये जायेगे। प्रत्येक स्टीम जनरेटर स्टेप-अप ट्रांसफार्मर से संलग्न होगा।

संयंत्र की आंतरिक विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनरेटर बस डक्ट से संलग्न ट्रांसफार्मर से विद्युत प्राप्ति की व्यवस्था की जायेगी।

प्रत्येक स्टीम जनरेटर के साथ इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) संलग्न होगा। प्रत्येक ESP में दो समानांतर गैस मार्ग होंगे ताकि आवश्यकतानुसार सुधार कार्य हेतु एक मार्ग बंद किये जाने की स्थिति में दूसरे मार्ग से गैस का गमन जारी रह सके। प्रत्येक ESP

के साथ फलाई एश संकलन की पृथक-पृथक व्यवस्था होगी । प्रत्येक ईएसपी की डिजाईन इस तरह की जावेगी कि बाह्य गमन (outlet) पर गैस के साथ डस्ट बर्डन 100 मिलीग्राम/न्यूटन घनमीटर (100mg/ul m³) से अधिक न हो और यह गैस 100% एमसीआर पर बाह्य गमित होगी ।

चिमनी की ऊँचाई 275 मीटर होगी और गैस गमन हेतु दा मार्ग होंगे । चिमनी आर.सी. सी. की बनाई जावेगी । गैस का गमन चिमनी के सर्वोच्च बिन्दु से होगा । चिमनी के बाह्य एवं आंतरिक प्लेटफार्म स्ट्रक्चरल स्टील के होंगे और विंडशील्ड द्वारा सुरक्षित किये जायेंगे । प्लेटफार्म के तल और आवागमन के मार्ग स्टील चेकर्ड प्लेट्स के होंगे । स्लैब का निर्माण उच्च गुणवत्ता की आर.सी.सी. ढलाई द्वारा किया जाएगा जिसका तल मेटेलिक हार्डनर फ्लोर फिनिश वाला होगा । आवश्यक सुरक्षा एवं पहुंच व्यवस्था यथा रोल-अप दरवाजे, पहुंच दरवाजे, लाईन पकड़ (Line Hatches), टेस्ट पोर्ट्स, वाटर ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि की सुविधाएं बनाई जायेंगी ।

कोयले एवं कोयले के चूरे की ग्रॉस कैलोरिफिक वेल्यू की जांच हेतु कोयला मिल के आऊटलेट पर सैम्पल लेने की व्यवस्था की जावेगी । स्टीम जनरेटर को LDO के लिये डिजाईन किया जायेगा और LDO का उपयोग एयर ऑटोमाईजेशन पद्धति से किया जायेगा । ईंधन आईल प्रेशराईजेशन यंत्र और ईंधन आईल गर्म करने हेतु संयंत्र की समुचित व्यवस्था की जायेगी जिसमें उच्च क्षमता के हाई इनर्जी इलेक्ट्रीक आर्क इग्नाईटर्स स्थापित होंगे जो ईंधन आईल गन को इग्नाईट करने के लिये उपयोग में लाये जायेंगे ।

पर्यावरण की वर्तमान स्थिति :

पर्यावरण पर प्रभाव के आंकलन हेतु किये जाने वाले अध्ययन का क्षेत्र परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की दूरी तक की परिधी में लिया गया है । परियोजना स्थल को फोकल पाईन्ट मानते हुए 10 कि.मी. के दायरे में चुने गये विभिन्न स्थानों पर माह दिसम्बर-2009 से फरवरी 2010 तक पर्यावरण संबंधी आंकड़ों का संकलन किया गया है ।

संकलित आंकड़ों के आधार पर पर्यावरण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत भूमि (टोपोग्राफी, भू-विज्ञान, मृदा गुणवत्ता, भू-उपयोग प्रणाली), मौसम (तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु-गति, विण्डरोज), हवा (एम्बिएन्ट एयर क्वालिटी, एसपीएम, आरएसपीएम, सल्फर डाय-ऑक्साईड, नाइट्रोजन ऑक्साईड), जल (सतही जल, भूजल), ध्वनि स्तर, पारिस्थितिक पर्यावरण(वनस्पति व जीव-जन्तु), सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ (जनगणना विषयक विवरण एवं घरेलू परिस्थितियाँ) इत्यादि का आंकलन कर पर्यावरण स्तर पर इनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है ।

अध्ययन क्षेत्र का टोपोग्राफिक स्वरूप लगभग पठारी है। मृदा सामान्यतः सिल्टी लोम प्रवृत्ति वाली है और लो इन्फिल्ट्रेशन गुणवत्ता वाली है। मृदा का pH 6.8 से 7.8 के मध्य है और घनत्व 1.20 से 1.45 ग्राम प्रति घनमीटर है। मृदा का स्वरूप क्लेयी लोमी है। मृदा की कण्डक्टिविटी 40 से 210 म्यू ओम प्रति से.मी. है।

पानी के नमूने 10 जगहों से (6 भूमिगत जल स्रोत से एवं 4 सतह के जल के नमूने) इकट्ठे किया गया है। सतह के जल के नमूनों के परीक्षण दिखाते हैं कि सभी परिमाण मानक के भीतर हैं। धाराओं के बी.ओ.डी. स्तर 4.0 से 6.0 मि.ग्रा. /लीटर, आयरन कंटेन्टेन्ट 0.27 मि.ग्रा. प्रति लीटर से कम हैं। मांड नदी के पानी की हार्डनेस 79 मि.ग्रा. /लीटर से 121 मि.ग्रा. प्रति लीटर के बीच है। पानी का पी.एच. स्तर 7.4 से कम है जो कि सुनिश्चित मापदण्ड पर खरा उतरता है। डिस्इन्फेक्शन के बाद सतह का पानी उपयोग करने योग्य है। यह देखा गया है कि भूजल स्रोत की गुणवत्ता मानव आवश्यकता पीने एवं निस्तार हेतु उपयुक्त है। पी.एच. 7.4 से 7.9 के मध्य एवं कुल हार्डनेस 125 से 229 मि.ग्राम प्रति मिली एवं समस्त धातु जांच के लिए आवश्यक न्यूनतम परिमाण (बी.डी.एल.) से कम पाया गया है।

अध्ययन अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 30° से.ग्रे. पाया गया जबकि न्यूनतम तापमान 10° से.ग्रे. पाया गया। हवा की आपेक्षिक आद्रता 82% से 42% के मध्य पायी गयी।

सर्वाधिक वायु की दिशा उत्तर-पूर्व पायी गयी एवं द्वितीय सर्वाधिक वायु की दिशा दक्षिण – पश्चिम पायी गयी। हवा की रफ्तार 1 से 16 कि.मी. प्रति घंटा के मध्य एवं 8.6 प्रतिशत शांत स्थिति में रिकार्ड किया गया।

अध्ययन अवधि के दौरान औसत वर्षा 14310 मि.मी. रिकार्ड की गयी।

शीत ऋतु में दिसंबर 2009 से फरवरी 2010 के मध्य दस विभिन्न जगहों पर व्याप्त हवा की गुणवत्ता की निगरानी की गयी। एस.पी.एम. की P₉₈ मात्रा 129 से 134 माइक्रोग्राम / घनमीटर प्राप्त की गयी। सभी जगहों पर व्याप्त वायु की निगरानी समयावधि में 24 घंटे की आर.एस.पी.एम. स्तर 46.7 से 53.4 माइक्रोग्राम/घ.मी. प्राप्त हुई जो कि राष्ट्रीय व्याप्त वायु मानक (एन.ए.ए.क्यू.एस.) के ग्रामीण रिहायशी क्षेत्र हेतु मानक 100 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से कम है।

समान रूप से SO₂ एवं NO_x की मात्रा 9.4 से 13.4 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर एवं 10.6 से 14.4 माइक्रोग्राम / घ.मी. के मध्य है जो एन.ए.ए.क्यू.एस. द्वारा निर्धारित मात्रा से कम है। ओजोन श्रेणी 6.7 से 12.4 माइक्रोग्राम / घ.मी. प्राप्त हुई।

संपूर्णता में अध्ययन क्षेत्र में व्याप्त वायु की गुणवत्ता NAAQS मानक के भीतर है।

विभिन्न स्थानों में व्याप्त शोर स्तर मानकों के भीतर पाया गया। दिन के समय में यह 37 से 43 डी.बी. एवं रात के समय 31 से 34 डी.बी. प्राप्त हुआ।

अध्ययन क्षेत्र में एक लुप्तप्राय प्रजाति एवं पांच कि.मी. से अधिक दूसरी पर स्थित दो संरक्षित वन क्षेत्र के अलावा कोई भी पारिस्थितिक संवेदनशील रिसेप्टर नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में खैर एवं साल के पेड़ बहुतायत में उपलब्ध हैं। बांस भी क्षेत्र में पाया जाता है। अधिकतर बंजर भूमि घास एवं झाड़ियों से ढंकी हुई है। क्षेत्र में जीव-जन्तु स्तनधारी (जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, बंदर इत्यादि) सरीसृप (सांप एवं छिपकली इत्यादि) एवं सामान्य पक्षी (मैना, कौआ, कबूतर एवं गौरैया इत्यादि) पाये जाते हैं।

प्रस्तावित परियोजना स्थल का 10 कि.मी. अध्ययन क्षेत्र रायगढ़ जिले के रायगढ़ तहसील के अन्तर्गत आता है। 10 कि.मी. की परिधि में 96 गांव अध्ययन क्षेत्र में स्थित हैं। प्रस्तावित परियोजना स्थल ग्राम-डूमरपाली एवं देवरी की भूमि पर प्रस्तावित है।

अध्ययन क्षेत्र में कुल जनसंख्या 2363 है। अध्ययन क्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता 75% एवं महिलाओं की साक्षरता 25% है। अध्ययन क्षेत्र में 284 अनुसूचित जनजाति एवं 355 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है।

प्रभावों का अनुमान :-

निर्माण के दौरान प्रभावों के आंकलन पर आधारित अनुमान के अनुसार पर्यावरण पर नगण्य प्रभाव होगा। निर्माण अवधि में निर्माण, गाड़ियों की आवाजाही, इंजिन के धुंए एवं गाड़ियों के आवाज इत्यादि से धूल एवं शोर उत्पन्न होगा।

सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन एवं एस.पी.एम. की अधिकता मात्रा क्रमशः 13.2, 15.9 एवं 140.67 मा.ग्रा./घ.मी. मात्रा पृष्ठभूमि में व्याप्त वायुगुणवत्ता निगरानी में पायी गयी।

अध्ययन क्षेत्र की अधिकतम परिणामस्वरूप जी.एल.सी. (जो पावर प्लांट एवं कोयला खदान के संयुक्त प्रभाव को शामिल करता है) SO₂ हेतु 39.6 मा.ग्रा. प्रति घ.मी., NO_x हेतु 23.25 मा.ग्रा./घ.मी., SPM डैल्फ 140.67 मा.ग्रा./घ.मी. होने की संभावना है। CPBC के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार SO₂ एवं NO_x की क्षमता GLC के अनुसार सीमा के भीतर है।

ताप विद्युत परियोजना के संचालन से कोई भी दूरगामी प्रभाव पानी की गुणवत्ता पर नहीं होगा । यह परियोजना शून्य उत्सर्जन पर प्रस्तावित है ।

प्रस्तावित परियोजना की पानी की व्यवस्था पानी की अधिकतम पुर्नचक्रण एवं उपयोग हेतु विकसित की गयी है जिससे परियोजना हेतु पानी की आवश्यकता को कम से कम किया जा सके एवं साथ ही उत्पादित उड़नशील पदार्थ की मात्रा को कम कर उत्सर्जन को कम से कम किया जा सके ।

राखड़ निकासी क्षेत्र ताप विद्युत संयंत्र क्षेत्र के भीतर है। विद्युत परियोजना से निकलने वाली राखड़ (2.82 मिलियन टन प्रतिवर्ष) को सीमेन्ट प्लांट में उपयोग किया जावेगा एवं बचे हुए राखड़ को राखड़ बांध बनाकर रखा जायेगा जिसके लिए 250 हेक्टेयर जगह सुरक्षित रखा गया है ।

संयंत्र से 0.5 कि.मी. दूरी तक ध्वनि प्रदूषण स्तर दिन में 85 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल अनुमानित है । अहाते के पास यह प्रस्तावित हरित पट्टी के कारण उपरोक्त से कम होगी ।

275 मीटर ऊँची चिमनी द्वारा प्रदूषण कारकों को उचित फैलाव के कारण कोई भी वृहत क्षेत्रीय पर्यावरण परिवर्तन नहीं आने की आशा है। आर आर प्लान को प्रयोग में लाने की प्रक्रिया हेतु पृथक आर आर प्लान को विस्तार से बनाना प्रारंभ कर दिया गया है ।

आल्टरनेटिव्स :-

विद्युत परियोजना क्षेत्र को चार विभिन्न आप्शन को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। वर्तमान क्षेत्र को कोयला, पानी की उपलब्धता एवं वन क्षेत्र के अधिग्रहण नहीं होने तथा विस्थापन को देखते हुए किया गया है ।

निगरानी योजना :-

उद्योग स्तर पर सुव्यवस्थित एवं प्रमाणित पर्यावरण प्रबंधन योजना का सुझाव दिया गया है जो समस्त प्रक्रिया उत्पाद एवं सेवा को पर्यावरण अनुकूल सुनिश्चित करता है ।

पर्यावरण प्रबंधन इकाई की जिम्मेदारी निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्र की पर्यावरण कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने की है ।

- पूर्व निर्माण एवं संयंत्र कार्य करने के समय EMP क्रियान्वयन का प्रबंधन एवं तालमेल।
- पर्यावरण निगरानी जिम्मेदारी हेतु समर्पित पर्यावरण कर्मचारियों की नियुक्ति।
- पर्यावरण निगरानी एवं नियंत्रण का प्रबंधन एवं तालमेल।
- शासकीय संस्थाओं एवं संयंत्र के अन्य वर्ग के बीच पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का समन्वय।
- हरित पट्टी क्षेत्र के विकास एवं वृक्षारोपण गतिविधियों का क्रियान्वयन व निगरानी।
- सुरक्षा विशेषण संयंत्र में सुरक्षित कार्यशैली का निर्धारण करेगा।

प्रशिक्षित एवं योग्य स्टाफ के द्वारा एक उचित पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम चलाया जावेगा जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि वातावरण में व्याप्त वायु एवं उत्सर्जित गैस में प्रदूषण स्तर सुनिश्चित मानकों से कम हो।

अतिरिक्त अध्ययन :-

आर आर योजना एवं क्षेत्र के जल निकासी योजनाओं के संबंध में अतिरिक्त अध्ययन किया जायेगा।

जोखिम मूल्यांकन :-

इस प्रतिवेदन में मानव पर्यावरण या संपत्ति से संबंधित गतिविधियों से संबंधित जोखिमों के बारे में वर्णन किया गया है। इन गतिविधियों में कोयला एवं डीजल, क्लोरीन एवं हाईड्रोजन का भण्डारण एवं उपयोग आदि शामिल है। इन वस्तुओं के प्रयोग से होने वाले खतरों से बचाव के उपायों पर भी विस्तृत वर्णन किया गया है।

वे सभी संयंत्र जिनमें अग्नि या विस्फोटकों का उपयोग होता है, के संदर्भ में भी सुरक्षा उपायों का उल्लेख है।

- रसायनिक पदार्थों के उपयोग में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। बीच-बीच में विपत्तियों से बचाव के अभ्यास भी किये जाने चाहिये।
- अग्नि शमन की पूरी तैयारी, जिनमें मुख्य जल वाहिनी से कनेक्शन एवं जल की तेज बौछार की व्यवस्था होनी आवश्यक है। उक्त साधनों का बीच-बीच में प्रयोग एवं जांच की जानी चाहिये जिससे वे सदैव कार्य करते रहें।
- संयंत्र के चारों ओर की आबादी को भी दुर्घटनाओं से बचने की तैयारियों से अवगत कराते रहें।
- स्थल पर आपदा प्रबंधन एवं स्थल से दूर संबंधित आवश्यक योजनाओं, संप्रेषण व नियंत्रण की व्यवस्था बनाई रखी जानी चाहिये।

- उचित व्यवस्था जैसे आपातकालीन प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर योजना, सामग्री सुरक्षा डाटा शीट, संचालन एवं नियंत्रण यातायात, मेडिकल सुविधाएं, प्रशिक्षण, अध्ययन जनजागरण आदि आपातकालीन व्यवस्थाएं बनाई रखी जानी चाहिये ।

पर्यावरण प्रबंधन योजना :-

निर्माण कार्यों से प्रकृति को कम से कम एवं अस्थाई नुकसान हो। ऐसी पर्यावरण प्रबंधन योजना हो जिससे निर्माणाधीन संयंत्र में धूल एवं ध्वनि का प्रदूषण नियंत्रित हो।

योजना क्रियाशील होने पर कोयला आपूर्ति संयंत्र, कोयला तोड़ने वाले आदि मुख्य वायु प्रदूषक होते हैं।

भट्ठी एवं बॉयलर का संचालन भी कम से कम वायु का प्रयोग हो जिससे ईंधन की कम खतप हो जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के निर्माण एवं निष्कासन को कम करती है। कोयले के भंडारण, स्थानान्तरण एवं क्रशर आदि से होने वाले प्रदूषण को साइक्लोन, बैग फिल्टर या जल के छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है।

जल को खनिज मुक्त शुद्ध करने हेतु शोधन संयंत्र प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों में लगाना आवश्यक है। एक जल भण्डारण टंकी से जल वितरण की व्यवस्था संपूर्ण संयंत्र में की जावे।

सारे ध्वनि प्रदूषण करने वाले संयंत्र जैसे जनरेटर, स्टीम टरबाइन जनरेटर, कम्प्रेसर एवं अन्य दूसरे यंत्रों के चारों ओर ध्वनि अवशोषक / अवरोधक सामग्री या व्यवस्था होनी चाहिये। उचित ध्वनि अवरोधक या अवशोषक व्यवस्था से ध्वनि प्रदूषण का स्तर कम हो सकेगा।

राखड़ दो प्रकार से प्राप्त होती है – बॉटम ऐश एवं फलाई ऐश। बॉटम ऐश भट्ठी के नीचे लगे बॉटम ऐश हॉपर से प्राप्त होती है जिन्हें गीली अवस्था में सिलो में रखी जाती है जिन्हें पम्प से ऐश डिस्पोजल क्षेत्र में भेज दिया जाता है। बॉयलर की राखड़, बॉयलर के हॉपर प्रेसीपिटेटर में, एवं फलाई ऐश इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर हॉपर में इकट्ठी होती है, सूखी फलाई ऐश एयर प्री-हीटर, इकोनॉमाइजर एवं ईएसपी हॉपर से फलाई ऐश सिलो में इकट्ठा किया जाता है।

फलाई ऐश न्यूमैटिक सिस्टम से ट्रकों में भरकर स्थानांतरित किया जाता है। समस्त प्रदूषणों से बचाव के लिए एक हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) संयंत्र के अन्दर एवं चारों ओर विकसित किया जाना चाहिये।

वीसा पावर लिमिटेड गामीण स्तर पर विभिन्न सामाजिक उन्नति के कार्यों को जिम्मेदारी लेगा जो कि ग्रामीण जीवन के स्तर को ऊँचा करने में सहायक होगी। अधोसंरचना का विकास शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रमुखता दी जावेगी।

स्वच्छता विकास पद्धति :-

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत में स्वच्छता विकास पद्धति में बहुत संभानाएं हैं। सीइए ने देश भर में कार्यरत विद्युत उत्पादन संयंत्रों में बेसलाईन कार्बन ड्राई आक्साइड के उत्सवर्जन की पूर्ण सूचना प्राप्त कर ली है। जो कि स्वच्छता विकास पद्धति से परियोजना विकसित करने वालों को प्रमाणित इमीशन रिडक्शन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

प्रस्तावित विद्युत ताप संयंत्र सब क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। इसलिए उक्त स्वच्छता विकास पद्धति का लाभ उपलब्ध नहीं होगा ।